

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर


क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013
प्रति,

रायपुर, दिनांक 01/01/2014
02 JAN 2014

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय:- वनग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने बावत ।
संदर्भ:- इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 7-39/2001/10-2/दिनांक 13
दिसम्बर, 2013, पत्र क्रमांक एफ 4-136/सात-1/2013 दिनांक 23
दिसम्बर, 2013 एवं पत्र क्रमांक एफ 6-398/सात-1/2013 दिनांक 26
दिसम्बर, 2013 तथा अधिसूचना क्र. एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक
01.01.2014 एवं पत्र दिनांक 01.01.2014

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें । राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01.01.2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 90 एवं 91 के तहत राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर को बन्दोवस्त अधिकारी की शक्तियां प्रदान की गई है। जारी अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। उपरोक्त अधिसूचना विभाग की वेबसाईट **WWW.cg.in.revenue** में भी उपलब्ध है।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार



21/1/2014
(के.सी.वर्मा)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
रायपुर, दिनांक 01/01/2014
02 JAN 2014

पृ0क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013
प्रतिलिनि:-

- 1/ समस्त संभागीय आयुक्त, संभाग..... छत्तीसगढ़
- 2/ संचालक, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ रायपुर
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।


21/1/2014
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक दिसम्बर, 2013

एफ 4-137/सात-1/2013 छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त संहिता की धारा 90 एवं 91 के अधीन राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर को बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

37.
1.1.2014
(पी.निहालानी)

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

**GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
REVENUE & DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT
MANTRALYA
MAHANADI BHAWAN, NAYA RAIPUR**

//NOTIFICATION//

01 JAN 2014

Raipur Dated / /2013

No F-4-137/seven-1/2013- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, confers the powers of settlement officer under Section 90 and 91 of the said Code to Collector of all districts of the State.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh


(P.Nihalani)

Joint Secretary

Government of Chhattisgarh
Revenue and Disaster management Department